<u>V-190</u> Cr.J.(E)

## SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 260- 265 OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

## IN THE COURT OF PANKAJ SHARMA JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, GOHAD DISTRICT BHIND

CASE NO <u>Language</u> 2016 COMPLAINT/REPORT made on 03-12-2016 Name and address of the complaintant: मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र।
ं 03. प्रक्रिया में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।
Name, parentage, caste and address of accused
निवाधी - गोरियन दोसा काला भी जिला भिष
The offense complained of, date of its alleged commission  कि आपने त्राहिफ को दिनांक १९ - १९ - १९ - १९ - १९ - १९ - १९ -
हाथ ठेला लगाकर / अन्य प्रकार से आम जनता के आवागमन में व्यवधान कारित किया। और ऐसा कर आपने वह अपराध किया जो धारा 34 पुलिस एक्ट के अधीन होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।
पंकर्ज शर्मा
जे.एम.एकसी गोहर जिला भिण्ड
The Plea of acused and his examination (if Any) (1.41.)
धारा 206 द.प्र.सं का संमंस बाद तामील प्राप्त जिसमें अभियुक्त ने लिखित अभिवाक् कर खेच्छया से अपराध को का खीकार किया अभिवाक् पृथक से संलग्न है।
पंकर्ज शर्मा जे.एम एफ सी गोहद जिला भिण्ड
. समित्रेट प्रथम अणी
्राच्या जिल्ला-सिण्ड (म.प.) ·

## ( <u>आज दिनांक : ०.८) १५ । ....</u> को पारित किया गया )

01. उपरोक्त अभियुक्त को स्वेच्छ्या पूर्वक की गयी स्वीकारोक्ति के अभिवाक् के परिणामस्वरूप धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
02. आरोपी को धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दस रूपये (10 / रु) के अर्थदण्ड़ से दिण्ड़त `

किया जाता है।

03.. प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।

पंक्रज शर्मा जोएम एफ सी गोहद्ग जिला भिण्ड शेंडद, जिला-किण्ड (म.प्र.)